



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक : 2735
दिनांक : 03/08/2011

सुरक्षानिधि, नवीनीकरण शुल्क एवं टी.एफ.एस. की राशि ऑनलाईन दिनांक 25/08/2011 तक जमा करने हेतु सूचना।

विश्वविद्यालय से संबद्ध अध्ययन संस्थाओं के लिए सुरक्षानिधि एवं नवीनीकरण शुल्क की राशि ऑनलाईन जमा करने हेतु अवधि दिनांक 01 जून 2011 से 30 जून 2011 रखी गई थी। इसी प्रकार टी.एफ.एस. की राशि ऑनलाईन जमा करने की अवधि 20 मई 2011 से 19 जुलाई 2011 रखी गई थी।

जिन अध्ययन संस्थाओं का पूर्व के सत्रों का नवीनीकरण शुल्क बकाया है तथा सुरक्षानिधि एवं टी.एफ.एस. की राशि भी बकाया है। वे एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से अपनी बकाया राशि ऑनलाईन दिनांक 25/08/2011 तक जमा कर सकती हैं।

जिन अध्ययन संस्थाओं से निर्धारित तिथि दिनांक 25/08/2011 तक समस्त बकाया राशि (सुरक्षानिधि एवं नवीनीकरण शुल्क) प्राप्त नहीं होगा उन्हें रेग्युलेशन क्रमांक 18/2008 की कंडिका 13.3 के अंतर्गत सत्र जनवरी 2012 से 'नो एडमिशन' कैटेगरी में बिना पूर्व सूचना के डाल दिया जायेगा।

दीपक शर्मा
निदेशक

(संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ)